निगरानी / एलआर / 7699 / 2006 / दौसा
रामेश्वर बनाम रामस्वरुप

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनि शियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
मंजू राजपाल, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री श्यामबाबू पारीक, अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री दीनदयाल पारीक अभिभाषक,अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः 08–12–2021

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 3 / 2005 उनवानी रामस्वरुप बनाम रामेश्वर में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

3– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि ग्राम गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा में खाता संख्या 25 की कुल भमि 24 बीघा 15 बिस्वा, खाता संख्या 528 की कुल भूमि 15 बीघा 3 बिस्वा, खाता संख्या 22 की कुल भूमि 41 बीघा 7 बिस्वा,खाता संख्या 23 की कुल भूमि 37 बीघा 14 बिस्वा व खाता संख्या 634 की कुल भूमि 83 बीघा 1 बिस्वा स्थित है। विवादित आराजी में चुन्नीलाल के पुत्रान रामसहाय , गंगाराम व सुन्दरलाल का हिस्सा है। सुन्दरलाल दिनांक 7–3–2004 को लाऔलाद फौत हो गया, जिसने अपनी हिस्से की भूमि को उक्त दोनों को आधी आधी बांट दी थी। सुन्दरलाल के जीवनकाल से ही उसकी चल अचल सम्पति पर अपीलान्ट 1 / 2 हिस्सा व देवीसहाय,रामेश्वर, छोटेलाल, रामदयाल,लल्लूराम 1 / 2 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। सुन्दरलाल के देहान्त होने पर उसके स्थान पर नामा0 संख्या 2022 तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट ने तहसीलदार सिकराय को प्रार्थनापत्र पेश कर दिया था ,लेकिन तहसीलदार ने रेस्पो0 एक के पक्ष में दिनांक 17–6–2004 को नामान्तरकरण तस्दीक दिनांक 5–10–2001 को पंजीबद्ध किए वसीयतनामे के आधार पर कर दिया जिसे गैर कानूनी बता कर उसके विरुद्ध अपीलांटस की ओर से द्वितीय अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष पेश की। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बाद उभयपक्ष की सुनवाई अपीलांटस की अपील को खारिज कर आदेश दिनांक 15–12–2004 के द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 2022 को यथावत रखा गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत होने पर उन्होंने अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर, प्रकरण तहसीलदार सिकराय को इस आधार पर प्रतिप्रेषित कर दिया कि प्रकरण में सुन्दरलाल के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनि शियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उत्तराधिकारियों के नामान्तरकरण की कार्यवाही पक्षकारों के मध्य विचाराधीन वाद के निर्णय तक स्थगित रखी जावे और वाद के निस्तारण के अनुसार ही नामान्तरकरण तय करें। उनका तर्क है कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 2022 के विरुद्ध विपक्षीगण की ओर से अपील पेश करते हुए निवेदन किया है कि सुन्दरलाल ने अपने जीवनकाल में दिनांक 13—1—1971 को इकरारनामा तहरीर कर दिया कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे दोनो भाई गंगाराम व रामसहाय मालिक रहेंगे। अतिरिक्त कलेक्टर ने विपक्षीगण की अपील खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि तहसीलदार ने रजि0 वसीयत के आधार ही नामान्तरकरण संख्या 2022 तस्दीक किया है। उनका तर्क है कि तहसीलदार ने व अतिरिक्त कलक्टर ने पंजीकृत वसीयत को मानते हुए निर्णय पारित करने में अपने अधिकार क्षेत्र का सही प्रयोग किया है। विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने वसीयत साबित होने के अभाव में विवादित नामान्तरकरण संख्या 2022 को निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है। उनका तर्क है कि जब नामान्तरकरण तस्दीक होने के बाद दावा विचारधीन हो तो उसकी अग्रिम कार्यवाही तो स्थगित हो सकती है लेकिन दावे के अन्तिम निस्तारण होने तक विवाादित नामान्तरकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः निगरानीधीन निर्णय पारित करने में जो विधिक त्रुटि है, उसके मद्देनजर निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया। 4— इसके विपरीत विपक्षीगण के अभिभाषक की ओर से मुख्य तर्क दिया कि रामेश्वर का दावा है कि वह सुन्दर लाल की भूमि का अकेला ही वारिस है। विवादास्पद नामान्तरकरण सं0 2022 में रामेश्वर को गंगाराम का पुत्र और सुन्दरलाल का दत्तक पुत्र होना बताया गया है। नामान्तरकरण की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही होती है। जिससे पक्षकारों के अधिकार तय नहीं होते हैं। उनका यह भी तर्क है कि दत्तक और वसीयत के विधि एवं तथ्य के प्रश्न नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही के दौरान तय नहीं होते हैं। उनका यह भी तर्क है कि पक्षकारों के मध्य सुन्दरलाल के वैधानिक वारिसान का विवाद न्यायालय में दावे के माध्यम से विचाराधीन है। विवादित नामान्तरकरण तस्दीक होने से पूर्व पक्षकारों को विधिवत रुप से सुना नहीं गया है। तथाकथित वसीयत के आधार ही विवादित नामान्तरकरण 2022 तस्दीक किया गया है जो विधिक रुप से उचित नहीं था। उक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए ही अधीनस्थ न्यायालय ने दावे के अन्तिम निर्णय होने तक नामान्तरकरण की कार्यवाही को स्थगित किया है। निगरानीधीन निर्णय उचित व कानून सम्मत है,जिसमें हस्तगत निगरानी के माध्यम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनि शियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अन्त में निगरानीधीन निर्णय को कानून सम्मत बताते हुए हस्तगत निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया गया। 5—अभिभाषक गैर निगरानीकार का तर्क है कि दिनांक 5—10—2001 की तथाकथित वसीयत के आधार पर जो इंतकाल 17—6—2004 को तस्दीक करवाया गया,उस पर एतराज करते हुए दिनांक 14—6—2004 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया परन्तु तहसीलदार ने नोटिस इत्यादि देकर सुनवाई का मौका नहीं दिया वरन् तथाकथित वसीयत के आधार पर सीधे इंतकाल खोल दिया। गैर निगरानीकार ने दिनांक 15—7—2004 को जिला कलेक्टर के यहॉ शिकायत भी लिखित में दी क्योकि वसीयत के तथ्यों की जॉच के बगैर, इंतकाल ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्तुत किए बिना मंजूर किया गया। 6— उनका तर्क है कि 1976 एआईआर (एससी) 729 में यह न्यायिक दृष्टांत स्थापित किया गया कि पारिवारिक समझौता तहरीर की विधिक मान्यता है, चाहे वह मौखिक ही क्यों ना हो और यह विधि स्थापित तथ्य है कि वसीयत का पंजीबद्ध होना भी आवश्यक नहीं है। 7— ग्राम पंचायत द्वारा इंतकाल भरे जाकर तस्दीक करने के प्रथम 45 दिवस के क्षेत्राधिकार बाबत तर्क कर समर्थन में आरआरडी 454 एवं 1994 आरआरडी 464,496 पर अंकित न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला दिया। 8— उनका तर्क है कि दिनांक 15—4—2004 को मृत्यु पूर्व सुन्दरलाल ने एक अपंजीकृत वसीयत उनके पक्ष में की थी। अभिभाषक निगरानीकर्ता ने खंडन में कहा कि चुन्नीलाल से मिली भूमि विरासत की थी, ना कि सुन्दरलाल की स्वअर्जित भूमि थी अतः उसके द्वारा वसीयत करना विधिवत नहीं था। इसे आधार बना कर जिला न्यायालय दौसा के यहॉ दिनांक 7—11—2005 को दायर वाद में गैर निगरानीकर्ता ने पंजीबद्ध वसीयत को निरस्त करने एवं उसके आधार पर इंतकाल को निरस्त करने का निवेदन किया है। उनका कथन है कि सुन्दरलाल के वारिसान नहीं थे तथाकथित दिनांक 13—01—71 की तहरीर ,जिसे पारिवारिक समझौता कहा जा रहा है, उसे विपक्षीगण ने किसी न्यायालय के सम्मुख पेश नहीं किया है। अपने एतराजात एवं दावे में विपक्षीगणों ने वसीयत को बीमारी का इलाज करवाने के बहाने करवाने का आक्षेप किया मगर उसे कहीं भी फर्जी होना कथन नहीं किया है। विपक्षीगण ने आदेश 11 नियम 12 का प्रार्थनापत्र देकर पारिवारिक तहरीर /समझौते की लिखावट का गुम होना/गिर जाना कथन किया है। रिकार्ड से यह	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनि शियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	साबित है कि दिनांक 9–3–2004 से लेकर दिनांक 3–6–2006 के दौरान ग्राम पंचायत की बैठक हुई ही नहीं और दिनांक 3–6–2006 की बैठक में भी कोरम पूरा न होने से कार्यवाही नहीं हुई। अतः तहसीलदार द्वारा तस्दीक इंतकाल संख्या 2022 विधिवत माना जायेगा। 9– विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन अधीनस्थ न्यायालयों के उपलब्ध दस्तावेजात के संदर्भ में किया। 10– अदालत के विचार में उभयपक्ष के मध्य इस बात पर विवाद है कि चुन्नीलाल के पुत्र सुन्दरलाल ने अपने 1/3 हिस्से बाबत दिनांक 13–1–71 की तहरीर मुताबिक दोनों भाइयों रामसहाय व गंगाराम को अधिकारी माना अथवा दिनांक 5–10–2001की पंजीबद्ध वसीयत के आधार पर उक्त 1/3 हिस्से बाबत रामेश्वर पुत्र गंगाराम को एक मात्र वारिस माना अथवा अपनी मृत्यु से पूर्व दिनांक 15–2–2004 को अपंजीबद्ध वसीयत के आधार पर रामसहाय के पुत्रगण (गैरनिगरानीकर्ता 1 ता 4) को संयुक्त वारिस माना। मृतक सुन्दरलाल के लाऔलाद फौत होने का तथ्य अविवादित है एवं उभयपक्ष के मध्य इंतकाल संख्या 2022 जिसे पंजीबद्ध वसीयतनामे के आधार पर भरा गया, के विधिसम्मत/विधिविरुद्ध होने को लेकर विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित तथ्यों का विवेचन करते हुए दिनांक 20–10–2006 को पारित निर्णय में इंतकाल संख्या 2022 को इस आधार पर अनुचित माना कि इसे तस्दीक करते हुए तहसीलदार ने समस्त पक्षों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। जिस दस्तावेजी साक्ष्य पर एतराज उठाया गया है,उसे विधिवत जॉच अथवा सक्षम स्तर से प्रमाणित किये बगैर तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया जाना विधिक प्रावधानों की अनदेखी करने की श्रेणी में रखा जायेगा। 11– तहसीलदार द्वारा समस्त पक्षकारान को सुन कर भी सुन्दरलाल की विरासत को तब तक निर्धारित नहीं किया जा सकता था जब तक कि विचाराधीन वाद में विवादित आराजी के 1/3 हिस्से की हद तक कथित रुप से विवादित तीनों दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीगण/अप्रार्थीण द्वारा स्वयं के पक्ष में विधिक अधिकार घोषणा न प्राप्त कर ली जाये। पंजीबद्ध, अपंजीबद्ध वसीयतनामों एवं पारिवारिक समझौते की तहरीर की विधिमान्यता का निर्धारण सक्षम सिविल न्यायालय के स्तर से ही किया जा सकता है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल नम्बर 2022 दिनांक 17–6–2004 एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–4–2004 को निरस्त किया गया है एवं प्रकरण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनि शियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में तहसीलदार को सुन्दरलाल के उत्तराधिकार के नामान्तरकरण की कार्यवाही पक्षकारों के मध्य विचाराधीन वाद के निर्णय तक स्थगित रखने के निर्देश दिये हैं। उक्त निर्णय की विधिसम्मत्ता में यह न्यायालय कोई त्रुटि नहीं देखता। परिणामस्वरुप हस्तगत निगरानी सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य पाई जाती है। 12— अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ,जयुपर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20—10—2006 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख अविलम्ब भिजवाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मंजू राजपाल) सदस्य	